

प्रारूप अर्द्धाईस
(नियम 272 (1) देखिये)
हिताधिकारियों के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन सह स्वीकृति पत्र

1. नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. पत्र व्यवहार का पता.....
4. जाति- अनु.जाति/अनु.ज.जाति/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/सामान्य
(जो लागू हो टिक करें)
5. आयु.....
6. विवाहित/अविवाहित.....
7. नियोजन का विषय :-

| अनु. क्र. | नियोजक का नाम तथा पता | क्या काम किया | कितने दिन काम किया | नियोजक के हस्ताक्षर |
|-----------|-----------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |

8. परिवार का विवरण

| क्र. | परिवार के मुखिया का नाम | सदस्यों का विवरण नाम | मुखिया से संबंध | आयु |
|------|-------------------------|----------------------|-----------------|-----|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

9. मेरी मृत्यु की दशा में मुझे देय राशि श्री/सुश्री.....पिता.....को देने हेतु मैं अपनी ओर से नामांकित करता हूँ। नामांकित व्यक्ति मेरा पुत्र/पुत्री/पति-पत्नी/ माता/ भाई/ अन्य(विवरण दें) है, जो लागू हो टिक करें।
10. मैं सत्यनिष्ठा/ईश्वर की शपथ लेकर कथन करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण सही है। सही न पाये जाने की स्थिति में मुझे दी गई सहायता राशि मंडल को वापस देने का वचन देता हूँ।

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

पंजीयन आदेश

आवेदन पत्र में वर्णित जानकारी का सत्यापन कराया गया। जानकारी सत्य/असत्य पाये जाने के कारण ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक.....में लिए गए निर्णय अनुसार आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता है।

सरपंच (हस्ताक्षर).....
ग्राम पंचायत.....
विकासखण्ड.....

पंजीयन आदेश के पश्चात् सचिव के हस्ताक्षर से फोटो परिचय-पत्र जारी किया जायेगा।

पंजीयन अधिकारी ध्यान दें। 1. इस आवेदन सहस्वीकृति पत्र ग्राम पंचायत में ही सुरक्षित रखा जावे। दोहरीकरण रोकने तथा एक ही प्रकार का लाभ दो योजनाओं से प्राप्त होने की संभावना को रोकने की दृष्टि से मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना- 2007 के अंतर्गत भूमिहीन खेतिहर मजदूर के रूप में पंजीकृत व्यक्ति भवन एवं अन्य संनिर्माण में पंजीयन अथवा सहायता के लिए पात्र नहीं होगा।

प्रारूप अर्द्धाईस
(नियम 272 (1) देखिये)
हिताधिकारियों के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन सह स्वीकृति पत्र

1. नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. पता.....
(1) वर्तमान पता.....
(2) स्थाई पता.....
4. जाति- अनु.जाति/अनु.ज.जाति/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/सामान्य
(जो लागू हो टिक करें)
5. आयु.....
6. विवाहित/अविवाहित.....
7. उन नियोजकों के नाम तथा पते जिनके लिए पिछले 12 माह में कार्य किया-

| अनु. क्र. | नियोजक का नाम तथा पता | कार्यस्थल का विवरण | क्या काम करते हैं | कितने दिन काम किया | नियोजक के हस्ताक्षर |
|-----------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |

8. परिवार का विवरण

| क्र. | परिवार के मुखिया का नाम | सदस्यों का विवरण | | | |
|------|-------------------------|------------------|-----------------|-----|--------|
| | | नाम | मुखिया से संबंध | आयु | शिक्षा |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

9. मेरी मृत्यु की दशा में मुझे देय राशि श्री/सुश्री.....पिता.....को देने हेतु मैं अपनी ओर से नामांकित करता हूँ। नामांकित व्यक्ति मेरा पुत्र/पुत्री/पति-पत्नी/ माता/ भाई/ अन्य(विवरण दें) है, जो लागू हो टिक करें।
10. मैं सत्यनिष्ठा/ईश्वर की शपथ लेकर कथन करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण सही है। सही न पाये जाने की स्थिति में मुझे दी गई सहायता राशि मंडल को वापस देने का वचन देता हूँ।

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

पंजीयन हेतु आदेश

अधोहस्ताक्षर कर्ता द्वारा स्थान.....दिनांक.....को वार्ड पार्षद/सरपंच/पंच/अन्य जनप्रतिनिधि (जो लागू हो टिक करें) की उपस्थिति में मौका जांच कर पंजीयन की स्वीकृति दी जाती है।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर करने वाले का श्रम संगठन के प्रतिनिधि का नाम तथा पदनाम
श्रम संगठन का नाम:-

हस्ताक्षर

मुख्य नगरपालिका अधिकारी/श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक
सहायक यंत्री, (विभाग का नाम)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
(जो लागू हो लिखें)

- नोट:-
1. नियोजक की अनुपस्थिति या हस्ताक्षर करने से मना करने की दशा में उपस्थित पार्षद /सरपंच/पंच/अन्य जनप्रतिनिधि नियोजक के स्थान पर हस्ताक्षर करें।
 2. इस आवेदन सह स्वीकृति पत्र का जिला कार्यालय में ही लेजर में सुरक्षित रखा जावे।

नोट- मूल परिचय-पत्र देखने के बाद ही आवेदन पंजीबद्ध किया जावे
प्रसूति सहायता/जननी सुरक्षा योजना/दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना/
जिला/ राज्य बीमारी सहायता योजनान्तर्गत आवेदन सह आवेदन-पत्र

1. पंजीयन क्रमांक
2. पंजीबद्ध श्रमिक का नाम
3. पता
4. प्रसूति का दिनांक/प्रसूति स्थल
5. अस्पताल का नाम जहां प्रसूति/चिकित्सा की गई
6. बीमारी का विवरण
7. घोषणा- मैं सत्यनिष्ठा से कथन करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है । असत्य पाये जाने की दशा में राशि वापस करने का वचन देता हूं । उपरोक्त के लिए मुझे किसी अन्य विभाग से सहायता प्राप्त नहीं हुई है ।

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक के हस्ताक्षर

आदेश

जांचोपरांत उपरोक्त विवरण सही पाए जाने/सही न पाए जाने के कारण आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता है । स्वीकृति की दशा में योजना का नाम.....के अंतर्गत निम्नानुसार राशिरूपये चेक क्रमांक.....दिनांक.....बैंक का नाम.....शाखा का नाम.....द्वारा श्री.....को भुगतान किया गया ।

मूल्य/व्यय
चिकित्सकीय जांच
औषधि
चिकित्सा शुल्क
परिवहन व अन्य व्यय

कुल स्वीकृत राशि

स्वीकृतकर्ता के हस्ताक्षर

नाम :

पदनाम :

स्थान :

दिनांक :

पावती

राशि रूपये.....चैक क्रमांक.....दिनांक.....प्राप्त किए गए ।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

पूरा नाम:-

पता:-

दिनांक:-

स्वीकृतकर्ता अधिकारी कृपया ध्यान दें :-

1. परिचय-पत्र की छायाप्रति के आधार पर आवेदन को स्वीकार नहीं किया जावे । मूल परिचय-पत्र देखकर लौटा दिया जाना चाहिए तथा परिचय पत्र में छायाप्रति की मांग नहीं की जानी चाहिए । आवेदक द्वारा दर्शाये विवरण की स्थल जांच कर पुष्टि हो जाने के पश्चात ही सहायता राशि स्वीकृत की जाए ।
2. यदि पंजीबद्ध श्रमिक के परिवार को शासन के अन्य किसी विभाग/योजना के अंतर्गत भी सहायता की पात्रता है तो पंजीबद्ध श्रमिक के लिए यह विकल्प होगा कि दोनों में से जहां बेहतर सुविधा मिल रही है उसका चयन वह कर सकेगा । किंतु एक ही प्रकार का लाभ एक से अधिक स्रोत से प्राप्त नहीं किया जा सकेगा ।

नोट- मूल परिचय-पत्र देखने के बाद ही आवेदन पंजीबद्ध किया जावे छात्रवृत्ति/मेधावी छात्र को नगद पुरस्कार हेतु आवेदन सह आदेश-पत्र

1. माता/पिता का पंजीयन क्रमांक
2. छात्र-छात्रा का नाम
3. पिता/माता का नाम
4. पत्र व्यवहार हेतु पूरा पता
5. उत्तीर्ण परीक्षा का विवरण
- (i) संस्था का नाम
- (ii) (परीक्षा का नाम)
- (iii) प्राप्तांक.....पूर्णांक.....प्रतिशत.....
6. कक्षा जिसमें इस वर्ष अध्ययनरत हैं
7. घोषणा- मैं सत्यनिष्ठा से कथन करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है । असत्य पाये जाने की दशा में राशि वापस करने का वचन देता हूँ । उपरोक्त के लिए मुझे किसी अन्य विभाग से सहायता प्राप्त नहीं हुई है ।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

आदेश

जांचोपरांत उपरोक्त विवरण सही पाए जाने/सही न पाए जाने के कारण आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता है । स्वीकृति की दशा में राशि रूपये.....चेक क्रमांक.....दिनांक.....बैंक का नाम.....शाखा का नाम.....द्वारा श्री.....को भुगतान किया गया ।

स्वीकृतकर्ता के हस्ताक्षर
नाम :
पदनाम :

स्थान :
दिनांक :

पावती

राशि रूपये.....चैक क्रमांक.....दिनांक.....प्राप्त किए गए ।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
पूरा नाम:-
पता:-

दिनांक:-

स्वीकृतकर्ता अधिकारी कृपया ध्यान दें :-

1. परिचय-पत्र की छायाप्रति के आधार पर आवेदन को स्वीकार नहीं किया जावे । मूल परिचय-पत्र देखकर लौटा दिया जाना चाहिए तथा परिचय पत्र की छायाप्रति की मांग नहीं की जानी चाहिए । आवेदक द्वारा दर्शाये विवरण की स्थल जांच कर पुष्टि हो जाने के पश्चात ही सहायता राशि स्वीकृत की जाए ।
2. यदि पंजीबद्ध श्रमिक के परिवार को शासन के अन्य किसी विभाग/योजना के अंतर्गत भी सहायता की पात्रता है तो पंजीबद्ध श्रमिक के लिए यह विकल्प होगा कि दोनों में से जहां बेहतर सुविधा मिल रही है उसका चयन वह कर सकेगा । किंतु एक ही प्रकार का लाभ एक से अधिक स्रोत से प्राप्त नहीं किया जा सकेगा ।

नोट- मूल परिचय-पत्र देखने के बाद ही आवेदन पंजीबद्ध किया जावे
विवाह सहायता हेतु आवेदन सह आदेश-पत्र

1. पंजीयन क्रमांक
 2. आवेदिका का नाम
 3. पिता का नाम
 4. आवेदिका की आयु
 5. पत्र व्यवहार का वर्तमान पता
 6. विवाह हेतु प्रस्तावित माह
 7. (अ) वर का नाम
 - (ब) वर के पिता का नाम
 - (स) वर की आयु
 - (द) वर के पत्र व्यवहार का पता
8. घोषणा- मैं सत्यनिष्ठा से कथन करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है । असत्य पाये जाने की दशा में राशि वापस करने का वचन देता हूं । उपरोक्त के लिए मुझे किसी अन्य विभाग से सहायता प्राप्त नहीं हुई है ।

आवेदक के हस्ताक्षर

आदेश

जांचोपरांत उपरोक्त विवरण सही पाए जाने/सही न पाए जाने के कारण आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता है । स्वीकृति की दशा में राशि रूपये.....चैक क्रमांक..... दिनांक.....बैंक का नाम.....शाखा का नाम..... द्वारा श्री.....को भुगतान किया गया ।

स्वीकृतकर्ता के हस्ताक्षर

नाम :

पदनाम :

स्थान :

दिनांक :

पावती

राशि रूपये.....चैक क्रमांक.....दिनांक.....प्राप्त किए गए ।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

पूरा नाम :

पता :

दिनांक :

स्वीकृतकर्ता अधिकारी कृपया ध्यान दें :-

1. इस योजना का लाभ अब 5 से अधिक महिलाओं के सामूहिक विवाह के आयोजन पर देय होगा ।
2. परिचय-पत्र की छायाप्रति के आधार पर आवेदन को स्वीकार नहीं किया जावे । मूल परिचय-पत्र देखकर लौटा दिया जाना चाहिए तथा परिचय पत्र की छायाप्रति की मांग नहीं की जानी चाहिए । आवेदक द्वारा दर्शाये विवरण की स्थल जांच कर पुष्टि हो जाने के पश्चात ही सहायता राशि स्वीकृत की जाए ।
3. यदि पंजीबद्ध श्रमिक के परिवार को शासन के अन्य किसी विभाग/योजना के अंतर्गत भी सहायता की पात्रता है तो पंजीबद्ध श्रमिक के लिए यह विकल्प होगा कि दोनों में से जहां बेहतर सुविधा मिल रही है उसका चयन वह कर सकेगा । किंतु एक ही प्रकार का लाभ एक से अधिक स्रोत से प्राप्त नहीं किया जा सकेगा ।

**नोट- मूल परिचय-पत्र देखने के बाद ही आवेदन पंजीबद्ध किया जावे
मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता आवेदन सह आदेश-पत्र**

1. पंजीयन क्रमांक
2. मृतक का नाम
3. आवेदक का नाम
4. आवेदक का मृतक से रिश्ता
5. आवेदक का पता
6. घोषणा- मैं सत्यनिष्ठा से कथन करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है । असत्य पाये जाने की दशा में राशि वापस करने का वचन देता हूं । उपरोक्त के लिए मुझे किसी अन्य विभाग से सहायता प्राप्त नहीं हुई है ।

स्थान :

दिनांक :

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

आदेश

जांचोपरांत उपरोक्त विवरण सही पाए जाने/सही न पाए जाने के कारण आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता है । स्वीकृति की दशा में राशि रुपये.....चेक क्रमांक.....दिनांक.....बैंक का नाम.....शाखा का नाम.....द्वारा श्री.....को भुगतान किया गया ।

स्वीकृतकर्ता के हस्ताक्षर

नाम :

पदनाम :

स्थान :

दिनांक :

पावती

राशि रुपये.....चैक क्रमांक.....दिनांक.....प्राप्त किए गए ।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

पूरा नाम :

पता :

दिनांक :

स्वीकृतकर्ता अधिकारी कृपया ध्यान दें :-

1. परिचय-पत्र की छायाप्रति के आधार पर आवेदन को स्वीकार नहीं किया जावे । मूल परिचय-पत्र देखकर लौटा दिया जाना चाहिए तथा परिचय पत्र की छायाप्रति की मांग नहीं की जानी चाहिए । आवेदक द्वारा दर्शाये विवरण की स्थल जांच कर पुष्टि हो जाने के पश्चात ही सहायता राशि स्वीकृत की जाए ।
2. यदि पंजीबद्ध श्रमिक के परिवार को शासन के अन्य किसी विभाग/योजना के अंतर्गत भी सहायता की पात्रता है तो पंजीबद्ध श्रमिक के लिए यह विकल्प होगा कि दोनों में से जहां बेहतर सुविधा मिल रही है उसका चयन वह कर सकेगा । किंतु एक ही प्रकार का लाभ एक से अधिक स्रोत से प्राप्त नहीं किया जा सकेगा ।